नम्बरी दीवानी संख्या 14/2023 जाकिर हुसैन बनाम साबीर आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2026	वादी जाकिर हुसैन मय अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता श्री पंकज सिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। साक्ष्य वादी में गवाह पी. डब्ल्यू. 02 मोहसीन व गवाह पी. डब्ल्यू. 03 मोहम्मद साहिद के शपथ–पत्र पर जिरह पूर्ण हुई। वादी जाकिर हुसैन खां की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल. रिट पिटिशन नं. 24315/2025 जाकिर हुसैन खान बनाम साबिर आदि में पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 की पालना में आज सूची दस्तावेज के साथ स्वयं वादी द्वारा पेड़ लगाते हुए के शेष 21 फोटोग्राफ पेश किए गए हैं, जो शामिल मिसल रहे। वादी जाकिर हुसैन ने जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विक्रय अनुबंध दस्तावेज को प्रमाणित करने वाले नोटेरी श्री आर.आर. स्वामी को वादी पक्ष की ओर से बतौर गवाह प्रस्तुत करना आवश्यक है, परन्तु उक्त गवाह ने न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य हेतु न्यायालय में हाजिर होने से इन्कार कर दिया है, जिसका साक्ष्य हेतु तलब करने का आदेश फरमाने की कृपा करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलवाई गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल. रिट पिटिशन नं. 24315/2025 जाकिर हुसैन खान बनाम साबिर आदि में पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साक्ष्य वादी हेतु वादी को एक आखिरी और अंतिम अवसर दिया गया था। अतः साक्ष्य वादी हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वादी को और अवसर	

	दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण आगामी पेशी पर अपनी साक्ष्य पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।	